

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू



मुकदमा नम्बर:- 604 / 2016

निर्णय दिनांक: 24.05.2024

पीठासीन अधिकारी- राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

1. कालूराम पुत्र मंगला जाति बारागांव निवासी कस्बा फागी तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।

वादी

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र सीताराम
2. रामलाल पुत्र सीताराम
3. जसराज पुत्र सीताराम
4. सत्यनाराण पुत्र बिरदीचन्द
5. हरि पुत्र बिरदीचन्द
समस्त जातियान बारागांव निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
6. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
7. उपपंजीयक माधोराजपुरा तहसील फागी हाल तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर।
8. उपपंजीयक फागी तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता:- श्री भोजराज सिंह राजावत वकील वादी

वाद तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक:- 24.05.

2024

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप इस प्रकार है कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व मे विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम फागी दक्षिण व रामपुरा रेल्वे के सम्बन्ध मे दिनांक 28.06. 2017 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री किया जाकर तहसीलदार फागी को निर्णय व डिक्री की प्रति भेजकर नक्शा व कुरेजात दो दो प्रतियों में भिजवाने हेतु लिखा गया। तहसीलदार फागी द्वारा नक्शे - कुरेजात प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत नक्शा व कुरेजात का अवलोकन वकील वादी को कराया गया। वकील वादी ने नक्शा कुरेजात पर कोई आपत्ति प्रकट नही की।

बहस एकतरफा सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने मुताबिक नक्शा कुरेजात दावा अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

अतः तहसीलदार फागी द्वारा भिजवाये गये नक्शा कुरेजात को गलत मानने का कोई आधार नही है। वादी का वाद मुताबिक नक्शा - कुरेजात अन्तिम डिक्री किया जाना उचित है।


उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला-दूदू


कालूराम बनाम रामस्वरूप वगैरे
मु०न०:- 604/2016
निर्णय दिनांक:- 24.05.2024

अतः वादी का वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है तथा इसी अनुसार लगान फेटबन्दी किये जाने के आदेश दिये जाते है। नक्शा - कुरेजात निर्णय व डिक्री के पार्ट होंगे। मुताबिक निर्णय डिक्री पर्चा जारी हो। मुताबिक निर्णय व डिक्री राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

क्र. स	नाम खातेदार मय वल्लियत भूमि वाके ग्राम फागी दक्षिण	खसरा नम्बर	रकबा	किश्म	लगान
1	कालू पुत्र मंगला जाति बारागाँव सा०देह	4112/1 4113/1 4114/1 4128/1 4131/1 4137/1	0.0675 0.0590 0.6260 0.1391 0.0084 0.2065		
	किता	06	1.1085 है०		
2	जसराज, रामलाल, रामस्वरूप पुत्रान सीताराम हिस्सा 1/2, सत्यनारायण, हरि पुत्रान बिरदीचन्द हिस्सा 1/2 जाति बारागाँव	4112/2 4113/2 4114/2 4128/2 4131/2 4137/2	0.1348 0.1180 1.2561 0.2782 0.0169 0.4131		
	किता	06	2.2171 है०		
	वाके ग्राम रामपुरा रेल्वे				
4	कालूराम पुत्र मंगला जाति बारागाँव सा० फागी	3/1	0.1728	बंजड 1	
5	सीताराम पुत्र मंगला हिस्सा 1/2 जाति बारागाँव सा० फागी, सत्यनारायण पुत्र बिरदीचन्द हिस्सा 1/4, हरि पुत्र बिरदीचन्द हिस्सा 1/4 जाति बारागाँव सा० फागी	3/2	0.3456	बंजड 2	

निर्णय आज दिनांक 24.05.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

सत्यमेव जयते


(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला दूदूदू



डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत- उपखण्ड अधिकारी फागी (दूदू)

बइजलास- राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

उनवान

कालूराम पुत्र मंगला जाति बारागांव निवासी कस्बा फागी तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र सीताराम
2. रामलाल पुत्र सीताराम
3. जसराज पुत्र सीताराम
4. सत्यनाराण पुत्र बिरदीचन्द
5. हरि पुत्र बिरदीचन्द

समस्त जातियान बारागाँव निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।

6. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
7. उपपंजीयक माघोराजपुरा तहसील फागी हाल तहसील माघोराजपुरा जिला जयपुर।
8. उपपंजीयक फागी तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।



::-- वाद तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा ::--

मुकदमा नं० - 604 / 2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी श्री भोजराज सिंह राजावत हाजिरी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है अतः वादी का वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है तथा इसी अनुसार लगान फेटबन्दी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नक्शा - कुरेजात निर्णय डिक्री के पार्ट होंगे।

निज..... मुबलिग..... बाबत.....
 खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह..... फीसदी..... सालाना आज की तारीख
 से तारीख अदायगी तक..... का अदा करे।
 बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24.05.2024 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
 फागी जिला-दूदू

मुहर

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बबत इजराय हुकमनामा		
बबत इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक	मीजान			मीजान	

कृ०प०उ०


कालूराम बनाम रामस्वरूप वगै०
मु०न०:- 604/2016
निर्णय दिनांक:- 24.05.2024

अतः वादी का वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है तथा इसी अनुसार लगान फेटबन्दी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नक्शा - कुरेजात निर्णय व डिक्री के पार्ट होंगे। मुताबिक निर्णय डिक्री पर्चा जारी हो। मुताबिक निर्णय व डिक्री राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

क्र. स	नाम खातेदार मय वल्लियत भूमि वाके ग्राम फागी दक्षिण	खसरा नम्बर	रकबा	किश्म	लगा न
1	कालू पुत्र मंगला जाति बारागाँव सा०देह	4112/1 4113/1 4114/1 4128/1 4131/1 4137/1	0.0675 0.0590 0.6260 0.1391 0.0084 0.2065		
	किता	06	1.1085 है०		
2	जसराम, रामलाल, रामस्वरूप पुत्रान सीताराम हिस्सा 1/2, सत्यनारायण, हरि पुत्रान बिरदीचन्द हिस्सा 1/2 जाति बारागाँव	4112/2 4113/2 4114/2 4128/2 4131/2 4137/2	0.1348 0.1180 1.2561 0.2782 0.0169 0.4131		
	किता	06	2.2171 है०		
	वाके ग्राम रामपुरा रेल्वे				
4	कालूराम पुत्र मंगला जाति बारागाँव सा० फागी	3/1	0.1728	बंजड 1	
5	सीताराम पुत्र मंगला हिस्सा 1/2 जाति बारागाँव सा० फागी, सत्यनारायण पुत्र बिरदीचन्द हिस्सा 1/4, हरि पुत्र बिरदीचन्द हिस्सा 1/4 जाति बारागाँव सा० फागी	3/2	0.3456	बंजड 2	

निर्णय आज दिनांक 24.05.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

सत्यमेव जयते


(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू
फागी, जिला-दूदू